

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 6596-6608 दिनांक :-15/7/2015

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या15...../2015-16

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना प.2 (11) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-II दिनांक 20.05.08 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 10.11.2008 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग के पत्र क्रमांक प.20(11)वित्त/अंकेक्षण/96 जयपुर, दिनांक 15.04.15 एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 21/प्रशा./विविध/03/ दिनांक 17.04.15 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की केडर स्ट्रेन्थ में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (केडर) में पूर्व में इस संबंध में प्रसारित समस्त आदेशों/ स्वीकृतियों को अधिलिखित करते हुये निम्नानुसार संशोधित स्ट्रेन्थ की जाती है:-

क्र.स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ-I	स.ले.अ-II	क.ले.
1.	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर	04(02)	04	9(02)
2.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का.-I जयपुर,	16(15)	-	26(20)
3.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का.-II जयपुर,	15(14)	-	24(19)
4.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का. अजमेर,	24(23)	-	36(30)
5.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का. भरतपुर,	14(13)	-	22(17)
6.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का. बीकानेर,	19(18)	-	29(23)
7.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का. जोधपुर,	21(20)	-	33(26)
8.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का. कोटा,	13(12)	-	25(20)
9.	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे. का. उदयपुर,	21(20)	-	37(30)
योग		147(137)	04	241(187)

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 6596-6608 दिनांक :-15/7/2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक (क्षे.का.), जयपुर-I/II, / अजमेर/ भरतपुर/ बीकानेर/ जोधपुर/ कोटा एवं उदयपुर।
- 5- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं पी.आई.एस. में इन्द्राज करने हेतु।
- 6- वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 7- पदस्थापन सहायक अलेसे-I/ III विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावे।

(के.एम. मीणा)